Acquisition of Indian citizenship

1. Indian Citizenship can be acquired under any of the following provisions of the Citizenship Act, 1955: -

a) Citizenship by birth - Section 3
b) Citizenship by descent - Section 4
c) Citizenship by registration - Section 5
d) Citizenship by naturalisation - Section 6
e) Citizenship by incorporation of territory - Section 7

2. The acquisition and termination of Indian citizenship is governed by the provisions of the Citizenship Act, 1955 and Citizenship Rules, 2009. For more information, please visit website https://indiancitizenshiponline.nic.in/.

3. Indian Citizenship can be acquired by any foreigner by registration under section 5 or by naturalisation under section 6 of the Citizenship Act, 1955. A foreigner, on fulfilling the eligibility criteria may apply for Indian citizenship under section 5 or section 6. Migrants belonging to Hindu, Sikh, Jain, Parsi, Buddhist and Christian communities of Pakistan, Afghanistan and Bangladesh have been given certain relaxations / facilities while submitting the application for Indian citizenship. For more details in this regard, please see the notification of 23rd December 2016. (available in website https://indiancitizenshiponline.nic.in/.)

The eligibility conditions under the provisions of Sections 5 or 6 of the Citizenship Act, 1955, and the list of documents to be attached with the applications are listed in the table below: -

section	Who can apply under this section	Documents required to be submitted along with the applications
5(1)(a)	Adult foreigners who or either of whose parents was born in undivided India and the applicant is ordinarily a resident in India for seven years before submitting his application for registration.	1. Copy of valid foreign passport 2. Copy of valid residential permit 3. Proof of birth of the applicant or either of his/her parents in undivided India-a copy of the passport or birth certificate.
5(1)(c)	Adult foreigner who is married to a citizen of India and has resided in India for seven years before submitting his application for registration.	1. Copy of valid foreign passport 2. Copy of valid residential permit 3. Proof of Indian nationality of his/her spouse - copy of Indian passport or birth certificate 4. A copy of the marriage certificate issued by the Registrar of Marriage in India.
5(1)(d)	Minor children whose both parents are Indian citizen.	1. Copy of valid foreign passport 2. Copy of valid residential permit 3. Proof of Indian citizenship of both parents- copy of Indian passport or birth certificate

5(1)(e)	Adult foreigner whose parents are registered as citizens of India under clause (a) of sub-section (1) of section 5 or sub-section (1) of section 6.	1. Copy of valid foreign passport 2. Copy of valid residential permit 3. Copy of parents Certificate of Indian Citizenship issued under clause (a) of sub-section (1) of section 5 or sub-section (1) of section 6 of the Citizenship Act, 1955.
5(1) (f)	Adult foreigner who or any of whose parents was citizen of independent India and who has resided in India for 12 months before submitting his application.	1. Copy of valid foreign passport 2. Copy of valid residential permit 3. Proof that the applicant or one of his parents was a citizen of independent India - a passport or a copy of the birth certificate.
5(1) (g)	Adult foreigner who has been registered as an O.C.I card holder for at least five years or more on the date of his application for registration as a citizen of India.	1. A copy of the valid Foreign Passport. 2. A copy of the certificate of registration as Overseas Citizen of India card holder under section 7A of the Citizenship Act, 1955.
6(1)	Naturalisation: - Adult foreigner who has resided in India for at least 12 years before submitting his application for naturalisation as citizen of India.	1. A copy of valid Foreign Passport. 2. A copy of valid Residential Permit. 3. A copy of Bank challan in original amounting to Rs.1500/- deposited in the State Bank of India under Head No."0070-Other Administrative Services-Other Services-Receipts under the Citizenship Act." 4. One affidavit from self (applicant) and two affidavits from two Indians testifying to the character of the applicant in the prescribed language available in the application form. 5. Two language Certificates certifying the applicant's knowledge in any one of the Indian languages specified in the Eighth Schedule of the Constitution. (A language certificate from a recognized educational institutions or from a recognized organization or from two Indian citizens of the district of the applicant). 6. Two newspaper (circulating in the district in which the applicant resides) cuttings of different date s or of different newspapers notifying his intention

		to apply for citizenship in the prescribed language in the application form.

4. Main steps for acquisition Indian citizenship by registration under section 5 and naturalisation under section 6 of the Citizenship Act, 1955.

(i) Foreigner applicants have to fill the online application in the prescribed Form on the Ministry of Home Affairs' website https://indiancitizenshiponline.nic.in/, upload the relevant documents and pay the prescribed fee. The step by step procedure regarding filling the form is available on this website.

(ii) Thereafter, the applicant has to submit the printout of the application along with copy of the documents to the District Collector / District Magistrate / Deputy Commissioner of the area where the applicant ordinarily resides. The applicant is administered oath of allegiance by the Collector/the competent authority and the applicant signs the application in the presence of the collector/competent authority.

(iii) In cases in which the State Government or Central Government is the competent authority for grant of citizenship, the collector forwards application and other documents, after completing the necessary action as prescribed in the Citizenship Rules, 2009, to the Home Department of the concerned State / UT. In cases where the Central Government is the competent authority to grant citizenship, the State Government forwards the case with its recommendation. The whole process is carried out in the online citizenship module.

(iv) If the applicant fulfils the prescribed criteria and there is no adverse security report, acceptance letter (in original) is issued to the applicant. Acceptance letter is the in-principle approval by the competent authority of the applicant's request for citizenship. The acceptance letter directs the applicant to pay the prescribed fee and submit documents including the certificate of renunciation of his foreign citizenship (or affidavit in lieu thereof, wherever permitted).
On the other hand, if the applicant is not able to meet the eligibility / security criteria, he is issued a self-contained rejection e-mail and his application is closed.

(v) After receipt of all the specified documents mentioned in the acceptance letter, the matter is examined for issue of citizenship certificate. If the documents are found in order, the competent authority approves the grant of Indian citizenship certificate.

******

भारतीय नागरिकता की प्राप्ति

1. भारतीय नागरिकता,नागरिकता अधिनियम,1955 के निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है:-

क) जन्म से नागरिकता	- धारा 3
ख) वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता	- धारा 4
ग) पंजीकरण द्वारा नागरिकता	- धारा 5
घ) देशीकरण द्वारा नागरिकता	- धारा 6
ड.) भू-भाग के समावेशन द्वारा नागरिकता	- धारा 7

2. भारतीय नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति की प्रक्रिया नागरिकता अधिनियम, 1955 तथा नागरिकता नियमावली, 2009 में दी गई है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://indiancitizenshiponline.nic.in/ देखें।

3. विदेशियों द्वारा नागरिकता अधिनियम,1955 की धारा 5 में रजिस्ट्रेशन द्वारा या धारा 6 में देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। विदेशी व्यक्ति द्वारा धारा 5 या धारा 6 की उप-धाराओं के अंदर आवेदन किए जा सकते हैं। (वेबसाइट https://indiancitizenshiponline.nic.in/ देखें।)

नागरिकता अधिनियम,1955 की धारा 5 या धारा 6 के प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिकता की पात्रता की शर्तें एवं आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची नीचे तालिका में अंकित हैं:-

धारा	**इस धारा के तहत कौन आवेदन कर सकते हैं**	**आवेदनों के साथ लगाए जाने वाले ज़रूरी दस्तावेज़**
5(1)(क)	भारतीय मूल का विदेशी वयस्क व्यक्ति जो स्वयं या जिसके माता पिता में से कोई भी, अविभाजित भारत में जन्में हों , और जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले सात साल के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी है।	1. वैध विदेशी पासपोर्ट की प्रतिलिपि 2. वैध आवासीय परमिट की प्रतिलिपि 3. स्वयं या माता पिता-में किसी एक का , अविभाजित भारत में जन्म का प्रमाण- पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति।
5(1)(ग)	वो विदेशी वयस्क व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाहित है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले सात साल के लिए भारत में सामान्य रूप से निवास करता है।	1. वैध विदेशी पासपोर्ट की प्रतिलिपि 2. वैध आवासीय परमिट की प्रतिलिपि 3. उसके पति/पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण- भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि 4. भारतीय विवाह पंजीयक द्वारा जारी किया गए विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति।
5(1)(घ)	वो नाबालिग बच्चे जिनके माता और पिता दोनों भारतीय हैं ।	1. वैध विदेशी पासपोर्ट की प्रतिलिपि 2. वैध आवासीय अनुमति की प्रति

		3. माता और पिता दोनों की भारतीय नागरिकता का प्रमाण- भारतीय पासपोर्ट/ जन्म प्रमाण पत्र की प्रति
5(1)(ङ)	विदेशी वयस्क व्यक्ति जिनके माता-पिता धारा 6 की उप-धारा (1) या धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (क) के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं।	1. वैध विदेशी पासपोर्ट की प्रतिलिपि 2. वैध आवासीय परमिट की प्रतिलिपि 3. नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 की उप-धारा (1) या धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (क) के तहत जारी की गईं भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र की प्रति ।
5(1) (च)	विदेशी वयस्क व्यक्ति जो या तो स्वयं या जिनके माता पिता में से कोई भी स्वतंत्र भारत का नागरिक था।	1. वैध विदेशी पासपोर्ट की प्रतिलिपि 2. वैध आवासीय परमिट की प्रतिलिपि 3. प्रमाण ,कि आवेदक या उसके मातापिता में से - कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था- पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की प्रति।
5(1)(छ)	विदेशी वयस्क व्यक्ति जिसने आवेदन की तिथि से कम से कम पाँच साल या उससे पहले O.C.I कार्ड धारक के रूप में अपना पंजीकरण कराया हो|	1. वैध विदेशी पासपोर्ट की प्रतिलिपि 2. भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7क के तहत O.C.I. कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
6(1)	देशीयकरण :- विदेशी वयस्क व्यक्ति जिसने भारत में देशीयकरण के आवेदन करने से पूर्व कम से कम 12 साल भारत में निवास किया हो I	1. वैध विदेशी पासपोर्ट की प्रतिलिपि 2. वैध आवासीय परमिट की प्रतिलिपि 3. स्वयं(आवेदक) से एक हलफनामा और दो भारतीयों से दो हलफनामे जो आवेदक के चरित्र को आवेदन पत्र में उपलब्ध भाषा में प्रमाणित करते हैं। 4. संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारतीय भाषाओं में से किसी एक में आवेदक के ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए दो भाषा प्रमाण पत्र (मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से या किसी मान्यता प्राप्त संगठन से या आवेदक के जिले के दो भारतीय नागरिकों से एक भाषा प्रमाण पत्र) 5. दो समाचार पत्र (जिस जिले में आवेदक निवास करता है वहां प्रचलित) के अलग-अलग तिथियों या अलग-अलग समाचार पत्रों की कटिंग (आवेदन पत्र में निर्धारित भाषा में नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए अपने इरादे को सूचित करते हुए)।

4. नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अंतर्गत पंजीकरण तथा धारा 6 के अंतर्गत देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने के मुख्य चरण।

(i) विदेशी नागरिक गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://indiancitizenshiponline.nic.in/ पर भारतीय नागरिकता के लिए निर्धारित फॉर्म में ऑनलाइन आवेदन भरें, संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।

(ii) इसके बाद, आवेदक को दस्तावेजों सहित आवेदन का प्रिंट आउट उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त के कार्यालय में जमा करना होता है जहां पर आवेदक सामान्यत: निवास करता है। कलेक्टर

कार्यालय मूल दस्तावेजों की जांच करता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति को सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है और आवेदक कलेक्टर अथवा सक्षम प्राधिकारी की उपस्थिति में आवेदन पर हस्ताक्षर करता/करती है।

(iii) उन मामलों में जिनमें राज्य सरकार/केन्द्र सरकार नागरिकता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, कलेक्टर द्वारा नागरिकता नियमावली, 2009 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही कर उसे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन तथा अन्य आवश्यक रिपोर्टों सहित संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के गृह विभाग को अग्रेषित किया जाता है। उन मामलों में जिनमें नागरिकता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार सक्षम प्राधिकारी है, उनमें राज्य सरकार, मामले की जांच के बाद की सिफारिश के साथ उसे अग्रेषित कर देती है।

(iv) यदि आवेदक निर्धारित मानदंड को पूरा करता है और कोई प्रतिकूल सुरक्षा रिपोर्ट नहीं है, तो आवेदक को "स्वीकृति पत्र" (मूल रूप में) जारी किया जाता है। स्वीकृति पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक की नागरिकता के अनुरोध की सैद्धांतिक मंजूरी है। स्वीकृति पत्र द्वारा आवेदक को निर्धारित शुल्क अदा करने, निर्दिष्ट दस्तावेज जमा करने जिसमें उसकी विदेशी नागरिकता के त्याग का प्रमाण पत्र (अथवा उसके बदले में शपथ-पत्र, जहां कही भी अनुमति हो) शामिल है, जमा करने के लिए कहा जाता है।। यदि आवेदक पात्रता/सुरक्षा मानदंड पूरा नहीं कर पाता है तो उसे एक स्वत:पूर्ण अस्वीकृति ई-मेल जारी किया जाएगा और उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा।

(v) स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात, नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में मामले की जांच की जाती है। यदि अपेक्षित दस्तावेज संतोषजनक पाए जाते हैं तो, सक्षम प्राधिकारी नागरिकता प्रमाण-पत्र प्रदान करने का अनुमोदन कर देता है।

******